भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1252

(दिनांक 01.08.2024 को उत्तर के लिए)

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 को लागू किया जाना

1252. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक को किन-किन तिथियों पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई;
(ख) क्या यह सच है कि 10 वर्ष बीत चुके हैं तथा मंत्रालय ने अभी तक सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 के उपबंधों के लागू होने की तिथि अधिसूचित नहीं की है;
(ग) क्या मंत्रालय के पास केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधिकारियों के विरुद्ध सूचना प्रदाताओं से प्राप्त शिकायतों की संख्या का पता लगाने का कोई तरीका है; और
(घ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्राप्त शिकायतों की वर्ष-वार संख्या और उनकी स्थिति क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ख) : सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011 पर दिनांक 27.12.2011 को लोकसभा द्वारा विचार-विमर्श/पारित किया गया तथा 21.02.2014 को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसे दिनांक 09.05.2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014 (2014 की सं.17) दिनांक 12 मई, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के तहत उपबंधों के अनुसार, अधिनियम के उपबंध उस तिथि से प्रभावी होंगे जो केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में नियत की जाए। सरकार द्वारा ऐसी कोई भी अधिसूचना इस कारण से अधिसूचित नहीं की गई है कि इसे लागू किए जाने से पहले इस अधिनियम में भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा आदि को प्रभावित करने वाले प्रकटीकरणों के विरुद्ध सुरक्षा पर लक्षित संशोधन अपेक्षित हैं। अधिनियम में इन संशोधनों को करने के लिए, सरकार ने 11 मई, 2015 को लोक सभा में सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया, जिसे लोक सभा द्वारा 13 मई, 2015 को पारित कर दिया गया तथा राज्य सभा को प्रेषित कर दिया गया। सोलहवीं लोक सभा का विघटन होने पर यह विधेयक व्यपगत हो गया है।

(ग) : वर्तमान में, केंद्र सरकार के दिनांक 21.04.2004 के संकल्प सं. 371/12/2002-एवीडी-III ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को नामोद्दिष्ट एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया ताकि वह केंद्र सरकार अथवा

किसी भी केंद्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत स्थापित किसी भी निगम, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों के किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप अथवा पद के दुरुपयोग के संबंध में लिखित शिकायतों अथवा प्रकटन/खुलासे को प्राप्त कर सकें।

(घ) : पिछले 10 वर्षों के दौरान जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर सुरक्षा (पीआईडीपीआई) संकल्प, 2004 के उपबंधों के अंतर्गत आयोग में प्राप्त हुई शिकायतों का वर्ष-वार विवरण तथा उन पर की गई कार्रवाई संलग्नक के अनुसार है।

*****

संलग्नक

01.01.2014 से 31.12.2023 तक की अवधि के दौरान आयोग में प्राप्त पीआईडीपीआई शिकायतों की स्थिति

वर्ष	पिछले वर्ष से अग्रेनीत की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निस्तारित कुल शिकायतें	दर्ज की गई/बंद की गई शिकायतों की संख्या	आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित संगठन को अग्रेषित की गई शिकायतों की संख्या	सीवीओ/सीबीआई द्वारा जांच/अन्वेषण के लिए भेजी गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
01.01.2014 से 31.12.2014 तक	38	954	953	27	799	127	39
01.01.2015 से 31.12.2015 तक	39	656	663	116	467	80	32
01.01.2016 से 31.12.2016 तक	32	821	816	367	358	91	37
01.01.2017 से 31.12.2017 तक	37	744	754	265	401	88	27
01.01.2018 से 31.12.2018 तक	27	695	693	275	332	86	29
01.01.2019 से 31.12.2019 तक	29	870	824	434	242	148	75
01.01.2020 से 31.12.2020 तक	75	480	520	207	252	61	35
01.01.2021 से 31.12.2021 तक	35	1022	1052	429	446	177	05
01.01.2022 से 31.12.2022 तक	05	1902	1887	1339	291	257	20
01.01.2023 से 31.12.2023 तक	20	2010	1967	1359	360	248	63

***